BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

# आयकर अधिनियम, 2025

## *कर संरचना का एक नया स्वरूप*

### प्रमुख बिंदु

- आयकर अधिनियम, 2025, **1 अप्रैल, 2026** से प्रभावी होगा।
- इस अधिनियम में **भाषा को सरल बनाया गया है, अप्रचलित प्रावधानों को हटाया गया है तथा प्रावधानों को मजबूत एवं पुनर्गठित** किया गया है।
- इसमें 'आकलन वर्ष' और "पिछले वित्त वर्ष" के स्थान पर '**कर वर्ष**' की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।
- यह अधिनियम **वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए)** को परिभाषित करता है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और टोकेनाइज्ड एसेट्स शामिल हैं।

### आयकर अधिनियम, 2025

नये आयकर अधिनियम, 2025 का पारित होना एक सुव्यवस्थित, सरलीकृत कर व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक विकास है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, समानता और आर्थिक दक्षता को बढ़ाना है। गहन विचार-विमर्श के बाद संसद द्वारा अधिनियमित, यह कानून वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और घरेलू आकांक्षाओं के अनुरूप कर संरचना के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर स्लैब को सरल बनाने, छूट को तर्कसंगत बनाने और

डिजिटल अनुपालन तंत्र को एकीकृत करके, अधिनियम स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रशासनिक बोझ को कम करने का प्रयास करता है।

भारत के पुराने कर कानूनों को आधुनिक और सरल बनाने के लिए, सरकार ने आय-कर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप आयकर विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया, जिसे विस्तृत जांच के लिए संसद की प्रवर समिति के पास भेजा गया। हितधारकों से व्यापक सिफारिशें और सुझाव प्राप्त करने के बाद, सरकार ने मूल विधेयक को वापस लेने और संशोधित संस्करण **आय-कर (संख्या 2) विधेयक, 2025** पेश करने का निर्णय लिया। इस अद्यतन विधेयक में कानूनी स्पष्टता और मसौदा तैयार करने में सुधार के साथ-साथ समिति के अधिकांश सुझावों को शामिल किया गया। इसे मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और अब यह भारत के नए कर ढांचे की नींव है।

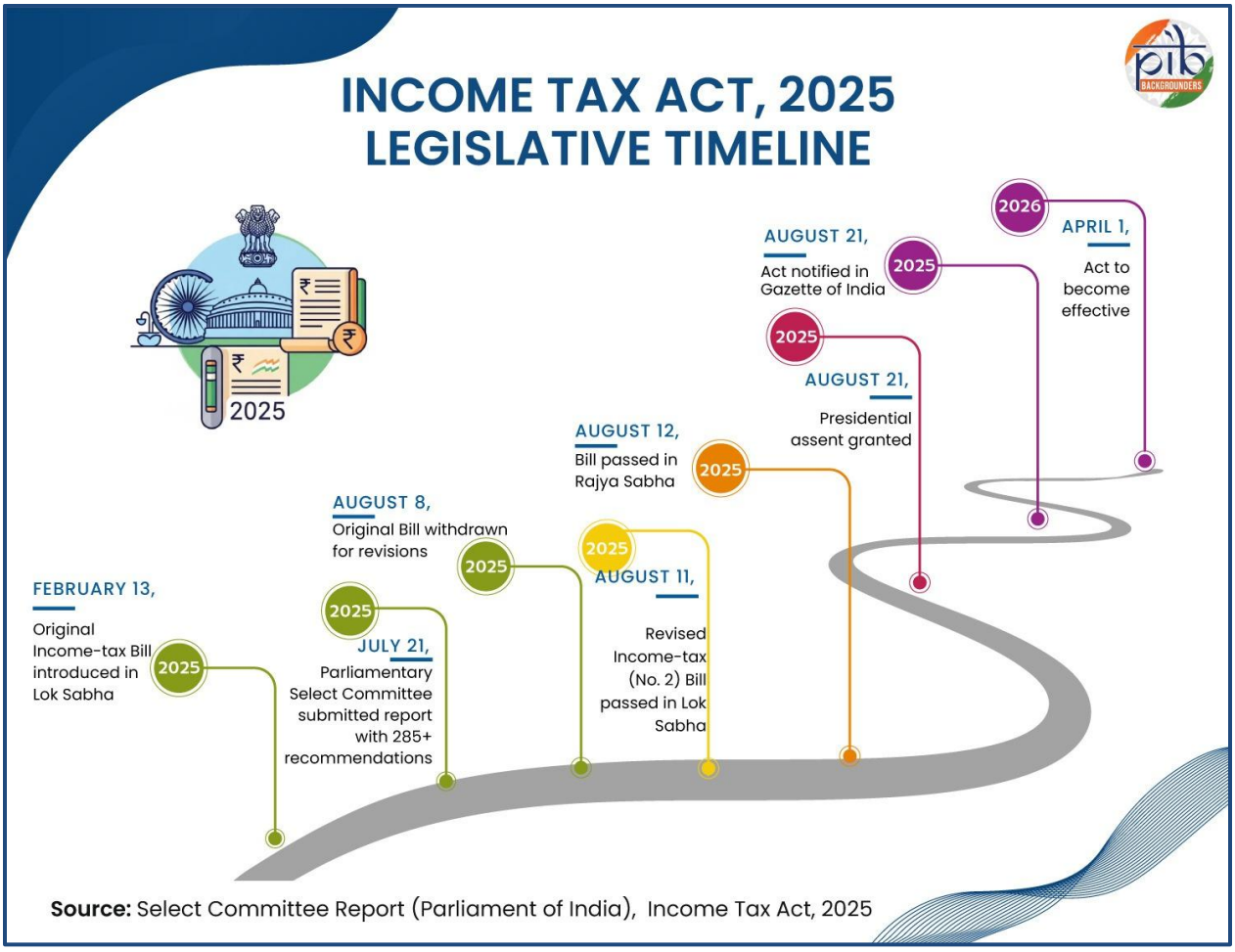

## जटिलता से स्पष्टता तक: नए आयकर अधिनियम के पीछे तर्क

**विधि आयोग (1958)** और **प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति** की सिफारिशों के आधार पर, **आय-कर अधिनियम, 1961** को पूर्ववर्ती 1922 कानून के स्थान पर प्रस्तुत किया गया था।

भारत के आयकर अधिनियम, 1961 को जटिल बनाने वाले वाले ये हैं :

- **व्यापक संशोधन** : इस अधिनियम में लगभग **65 बार संशोधन** किया गया है, जिसमें वार्षिक वित्त अधिनियमों और **19 अलग-अलग कराधान कानून संशोधन** विधेयकों के माध्यम से छह दशकों में **4000 से अधिक संशोधन** किए गए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कानून को प्रासंगिक रखना था, लेकिन उन्होंने इसकी लंबाई और जटिलता में उल्लेखनीय वृद्धि की।

- **कई छूट और कटौतियाँ**: पिछले कुछ वर्षों में, सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए विभिन्न छूटों और कटौतियों को शामिल करने के लिए अधिनियम में **बार-बार संशोधन** किया गया, जैसे कि बचत को प्रोत्साहित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, संतुलित विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक समानता को आगे बढ़ाना। इन प्रावधानों में निर्यात आय के लाभ, विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश और ग्रामीण विकास पर व्यय शामिल हैं।
- **कर आधार में कमी और अधिक मुकदमेबाजी:** कई छूटों और प्रोत्साहनों **ने कर आधार को काफी कम कर दिया**, जिसने बदले में मुकदमेबाजी में वृद्धि, उच्च प्रशासनिक लागत और अधिक अनुपालन बोझ में योगदान दिया।

- **परंपरागत कानूनी भाषा**: यह अधिनियम **पारंपरिक कानूनी भाषा** में लिखा गया था, जिसमें लंबे वाक्य, कई प्रावधान और व्यापक स्पष्टीकरण दिए गए थे, जिससे अधिकतर टैक्सपेयर के लिए इसे समझना मुश्किल हो गया था।

- **खंडित ढांचागत संरचना और अप्रचलित प्रावधान**: संशोधनों और अत्याधिक परिवर्तनों से एक **खंडित संरचना** बनी। यह जटिलता इन पुराने प्रावधानों से और अधिक जटिल हो गई थी जो अब उपयोग में नहीं थे।

## नए कर कानून के लिए सुधार प्रक्रिया

**जुलाई 2024 में,** वित्त मंत्री ने **आयकर अधिनियम, 1961 में सुधार करने** के सरकार के इरादे की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इसकी भाषा को सरल बनाना, विवादों को कम करना और पुराने प्रावधानों को समाप्त करना था। इस प्रयास के लिए, मौजूदा अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा एक **आंतरिक विभागीय समिति** का गठन किया गया था।

समिति ने विचार-विमर्श और विचार-विमर्श सत्रों के माध्यम से **हितधारकों-उद्योग निकायों, पेशेवर संघों और कर विभाग के फील्ड अधिकारियों** के साथ सक्रिय रूप से काम किया। इसने **ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया** में **कर सुधारों** सहित **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं** से भी जानकारी प्राप्त की। कानून के संरचनात्मक सरलीकरण को शामिल करने के लिए भाषा से परे ध्यान केंद्रित किया गया।

आयकर कानून ढांचे को नया रूप देने के लिए, सरलीकरण अभ्यास में तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया गया:

- बेहतर स्पष्टता और सुसंगतता के लिए **पाठ्य और संरचनात्मक सरलीकरण।**
- निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए **कर नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं**।
- करदाताओं के लिए पूर्व अपेक्षाओं को बनाए रखते हुए **कर की दरों में कोई संशोधन नहीं।**

आयकर अधिनियम, 2025 की की मसौदा प्रक्रिया को तीन-स्तरीय ढांचे में रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक घटक कानून की संरचना, उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा:

- पढ़ कर समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए **जटिल भाषा को आसान बनाना**
- बेहतर मार्गदर्शन के लिए **अनावश्यक और दोहराव वाले प्रावधानों को हटाना**।

- आसानी से संदर्भ प्राप्त करने के लिए **तार्किक रूप से प्रावधानों का पुनर्गठन**।

## कर के लिए नया दृष्टिकोणः लक्ष्य और दिशा

आयकर अधिनियम, 2025 को भारत के प्रत्यक्ष कर ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य **कर कानून को सरल और कारगर बनाना**, इसे **अधिक सुलभ, पारदर्शी बनाना** और **मुकदमेबाजी को कम करना** है। **सरल भाषा अपनाकर** और **प्रावधानों को तार्किक रूप से पुनर्गठित** करके, अधिनियम का उद्देश्य **करदाताओं के भ्रम को खत्म करना** और **स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार** करना है। यह स्पष्ट परिभाषाओं और सुसंगत निर्धारण समयसीमा के माध्यम से विवादों को कम करने का भी प्रयास करता है। यह सुधार वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने, व्यापार को आसान बनाने तथा विश्वास आधारित कर वातावरण को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संक्षेप में, इस अधिनियम को कर दरों में संशोधन करने के लिए नहीं, बल्कि कर अनुभव में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है- ताकि इसे **अधिक अनुमानित, कुशल** और **डिजिटल रूप से सक्षम बनाना** बनाया जा सके।

| **मुख्य उद्देश्य** |
|---|
| ➢ **सरलीकरण**: पुरानी भाषा और अनावश्यक प्रावधानों को स्पष्ट, संक्षिप्त और आधुनिक कानूनी भाषा में बदलना। |
| ➢ **डिजिटल एकीकरण**: ह्यूमन इंटरफेस और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन और डिजिटल अनुपालन को सक्षम बनाना। |
| ➢ **करदाता-केंद्रित दृष्टिकोण**: फाइलिंग की सुविधा में सुधार, मुकदमेबाजी में कमी, तथा पारदर्शिता में वृद्धि। |
| ➢ **वैश्विक तालमेल**: डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान और वैश्विक आय सहित समकालीन आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाना। |

## आयकर अधिनियम, 2025 का सरलीकृत ढांचा

नये आयकर अधिनियम को काफी सरल बना दिया गया है, इसमें कम धाराएं और अध्याय हैं, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान हो गया है। इसमें स्पष्टता में सुधार के लिए उपयोगी तालिकाओं और सूत्रों के साथ संरचित कार्यक्रम शामिल हैं। कुल मिलाकर, बेहतर पहुंच और पारदर्शिता के लिए भाषा और लेआउट को सुव्यवस्थित किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, यह अधिनियम उपयोगिता को बढ़ाते हुए निरंतरता सुनिश्चित करते हुए मौजूदा कराधान सिद्धांतों को संरक्षित करता है। ये सुधार एक सरल और पारदर्शी कर ढांचा स्थापित करके व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

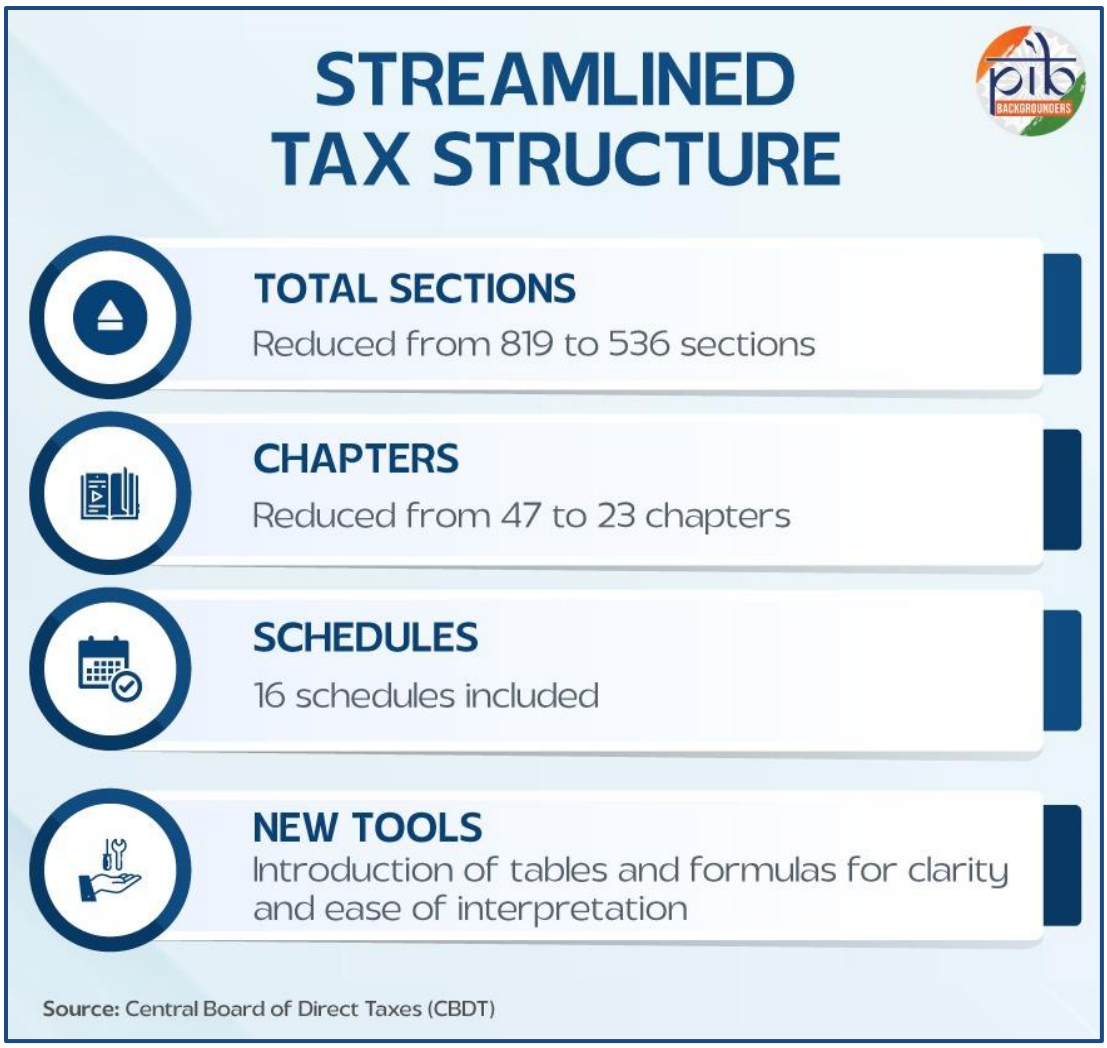


## आयकर अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएं

आयकर अधिनियम, 2025 भारत में प्रत्यक्ष कराधान के लिए एक सुव्यवस्थित और आधुनिक ढांचा प्रस्तुत करता है। यह संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से स्पष्टता, सरलीकरण और बेहतर अनुपालन पर केंद्रित है। यह अधिनियम पारदर्शिता बढ़ाने, मुकदमेबाजी कम करने और तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया है।

| **"कर वर्ष" (Tax Year) का परिचय** |
| --- |
| ❖ इसमें सबसे अहम बदलाव **"कर वर्ष" (Tax Year)** की शुरुआत है, जो पुराने **"वित्त वर्ष" (Financial Year)** और **"आकलन वर्ष" (Assessment Year)** को बदल देगा। इस बदलाव का उद्देश्य भ्रम को कम करना, लोगों के लिए सही और समय पर कर दाखिल करना आसान बनाना और एक एकल, एकीकृत अवधारणा के साथ बदलकर कर शब्दावली को सरल बनाता है। इसे वित्तीय वर्ष की बारह महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 अप्रैल से शुरू होती है। इस परिवर्तन का उद्देश्य स्पष्टता लाना तथा करदाताओं के लिए यह समझना आसान बनाना है कि उनकी आय और कर दाखिल किस वित्तीय अवधि से संबंधित हैं, जिससे अनुपालन और व्याख्या में अस्पष्टता कम हो जाएगी। |
| **योजनाओं को आकार देने में मदद** |
| ❖ यह अधिनियम केंद्र सरकार को **कर प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार** के उद्देश्य से नई योजनाओं को तैयार करने के लिए अधिकृत करता है ***(धारा 532)***। यह निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:<br><br>i. **तकनीकी रूप से संभव सीमा तक** करदाता या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इंटरफेस को समाप्त करना, और<br>ii. आर्थिक अनुकूलता और कार्यात्मक विशिष्टीकरण के माध्यम से **संसाधनों के उपयोग को अनुकूल** बनाना |
| **सरल अनुपालन** |

- अधिक स्पष्टता के लिए कई प्रावधानों को एक साथ लाया गया है। उदाहरण के लिए, **स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)** से संबंधित प्रावधान, जो पहले कई धाराओं में विभाजित थे, अब सुव्यवस्थित कर दिए गए हैं और **उन्हें एक ही धारा - धारा 393 - के अंतर्गत समूहीकृत** कर दिया गया है। इसे एक करने का उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना है, जिससे करदाताओं, पेशेवरों और अधिकारियों के लिए कई अलग-अलग खंडों को देखे बिना टीडीएस से संबंधित नियमों का पता लगाना और उनकी व्याख्या करना आसान हो जाएगा।

## डिजिटल फर्स्ट एनफोर्समेंट

- **वर्चुअल डिजिटल स्पेस** को एक ऐसे वातावरण, क्षेत्र या दायरे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका निर्माण और अनुभव कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। इसमें ईमेल सर्वर, क्लाउड सर्वर, सोशल मीडिया खाते, ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग खाते, तथा परिसंपत्ति स्वामित्व का विवरण संग्रहीत करने वाली वेबसाइटें शामिल हैं।
- **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों** का दायरा बढ़ाकर अब ऐसी किसी भी परिसंपत्ति को शामिल किया गया है जिसका मूल्य डिजिटल रूप में है तथा जो क्रिप्टोकरंसी या इसी प्रकार की प्रौद्योगिकियों जैसे क्रिप्टोग्राफिक लेजर सिस्टम का उपयोग करके संचालित होती है।

## विवाद समाधान

- आयकर अधिनियम, 2025 विवादों के समाधान के लिए एक अधिक मजबूत और करदाता के अनुकूल ढांचा प्रस्तुत करता है।

## निष्कर्ष

आयकर अधिनियम, 2025 भारत में अधिक पारदर्शी, कुशल और करदाता के अनुकूल प्रत्यक्ष कर प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। कानूनी संरचनाओं को सरल बनाकर, डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल से यह अधिनियम एक आधुनिक राजकोषीय ढांचे की नींव रखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और समावेशी भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित यह सुधार अनुपालन, आर्थिक विकास और संस्थागत जवाबदेही को आसान बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

## संदर्भ:


भारत का राजपत्र:

https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265620.pdf

पत्र सूचना कार्यालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159426

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2062861

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त मंत्रालय):

https://incometaxindia.gov.in/Lists/Press%20Releases/Attachments/1219/Executive-Summary-on-the-Comprehensive-Simplification-of-the-Income-tax-Act-1961-PressRelease-13-2-25.pdf

बजट भाषण – 2024-25 (वित्त मंत्री)::

https://www.indiabudget.gov.in/doc/bspeech/bs2024_25.pdf

भारत की संसद:

SelectCommitteetheIncome-TaxBill, 2025 Report

**********

पीके/केसी/डीवी